

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत. सदायश कुमर एंव S.O.O. मुकाम बापलु

चन्द्र प्रकाश बनाम मोक्षराम कोर

तस्म मुकदमा वा.पू.का. 88,180,209 R.A.P.A. नं. 35/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/02/2022	<p>प्रार्थी/ब्यादी/अपीलांत के वकील श्री <u>गोरीश कुमार गोरा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/ब्याद/अपील धारा <u>88,180,209 R.A.P.A.</u></p> <p>राजस्थान कायन्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिब्यादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/02/2022</u> को पेश हो।</p>	
21/02/2022	<p><u>पार्टी व डील उपरिधत। प्रतिवारी</u></p> <p>संख्या - 1 एवं उपरिधत डीउर ई 8 बाली</p> <p>जवाबदावा पेश डर पार्टी डे काउ डे</p> <p>स्वीकार विना जम्डर गमा। प्रतिवारी संख्या</p> <p>2 से 4 डे द्वारा उपरिधत डीउर ई 8 बाली</p> <p>जवाबदावा पेश डर कपना डे 8 दिना</p> <p>पार्टी व प्रतिवारी संख्या - 1 डे पक्ष में</p> <p>प्राग विना गमा जिसे शामिल पमावली</p> <p>विना गमा। पार्टी व डील द्वारा पार्टी</p> <p>संख्या डे रूप में पार्टी एवं पव-1 की</p> <p>चन्द्रप्रकाश पुन की मोक्षराम जाति-जाट</p> <p>निवासी-पुतराठिकों की ठानी माडपुरा बरवाल</p> <p>तहसील-बापलु व पव-2- मोक्षराम पुन</p>	<p>जलपट्टर</p> <p>मोक्षराम</p> <p>(पुत्राठिकों)</p> <p>(चन्द्रप्रकाश)</p> <p>S.O.O.</p> <p>(अवधारण)</p> <p>गोरीश</p> <p>मुनिषा</p> <p>उममा</p> <p>मोक्षराम</p> <p>(मोक्षराम)</p>

जलपट्टर (S.D.O) बापलु

तय सहायक  
(फील्ड)  
बादीगण  
अन्वेषक  
जाति

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

डानाराम जाति जाड निवासी- युतराणियों  
की ठानी, माडपुरा बरवाला तटाल- वामन  
के बाप- पत्न मय इन्सालेजों की दूध  
प्रथम खर्चोनी सम्बत - 2012 - 2031 मोजा  
माडपुरा बरवाला खाला सं- 115, 116 व  
प्रमाणित प्रतिलिपी नामालर डाल संख्या-  
282 डिनेड- 02/09/1982 मोजा- माडपुरा  
बरवाला पैवा विषे गये तथा प्रतिका  
साल्य के रूप में प्रतिका संख्या- 1 टव  
DW-1- मोडाराम पुज डानाराम जाति- जाड  
निवासी- युतराणियों की ठानी, माडपुरा बर-  
वाला तटाल- बापडु जिला- बाडमेर 8)  
बाप- पत्न पैवा विषा गथा जिसे कामिल  
पभावली विषा गथा। वारी के अधिकतर  
की कटम लुनी गई, पभावली व पभावली  
के संलग्न राजस्व 185 8) प्रकलोडन  
विषा गथा बाड प्रकलोडन वारी 8) वा  
स्वीडर विषा जाडर निगर्ष मेलग ले  
विषा जाडर कामिल पभावली विषा गथा  
डिगरी पत्न जारी टोडर पभावली मेल  
मुमाट टोडर डर्ज नम्बर ले डम टोडाकिल  
दफतर 30/10/11

सहायक फालतार  
(SBO) बापडु

# लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या-35/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चन्द्रप्रकाश पुत्र अणदाराम जाति-जाट, निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर		1. अणदाराम पुत्र कानाराम 2. गीता पुत्री अणदाराम 3. सुमित्रा पुत्री अणदाराम 4. उर्मिला पुत्री अणदाराम जाति-जाट, निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर 5. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बायतु भोपजी 6. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :-

1. वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 4

:- निर्णय :-

दिनांक : 21/02/2022

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक व संयुक्त कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565/422 रकबा क्रमशः 4.8540 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही पूर्वज के वंशज हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बायतु

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं चन्द्रप्रकाश का शपथ पत्र PW 1 व स्वतंत्र गवाह के रूप में PW 2 पोकराराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश कर अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के पक्ष में घोषित करने की सहमति प्रदान की गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कानाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565/422 रकबा 4.8540 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से अपना हक हिस्सा त्याग करने से उनका हिस्सा शेष नहीं है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(5650) बायतु

## अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र अणदाराम  
जाति-जाट,  
निवासी-चुतराणियों की ढाणी,  
माडपुरा बरवाला,  
तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर

1. अणदाराम पुत्र कानाराम
2. गीता पुत्री अणदाराम
3. सुमित्रा पुत्री अणदाराम
4. उर्मिला पुत्री अणदाराम  
जाति-जाट,  
निवासी-चुतराणियों की ढाणी, माडपुरा  
बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाडमेर
5. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बायतु भोपजी
6. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-35/2022.

निर्णय दिनांक :- 21/02/2022

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/02/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का इकबाली जवाबदावा स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565/422 रकबा 4.8540 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की



(जगदीश सिंह आशिया)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(800) बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तागील			
जोड़		जोड़	